FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...सहायक कलक्टर (SDO) बापुर... मुकाम......

...लच्छाराम... बनाम ...सवाईसिंह वगैरह...

किस्म मुकदमा ...रा. आवेदन 111,128 RLR Act... नं. ...108/19... सन् ...2019...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.3.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...खेताराम जाखड़... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128 RLR Act... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...8/4/19... को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
08/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर निशानबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बापुर को आदेशित (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

नियुक्त कीया जाता है व आदेश दीया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेपामकी मौके पर सुल्ड जमाबन्दी करे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली कमल कुमार को दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

08.4.2019

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांकः–08 / 04 / 2019

कमांक / वाद / 2019 / 67

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. लच्छाराम पुत्र बींजाराम वगैरा जाति मेगवाल निवासी जसनाथपुरी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. सवाईसिंह पुत्र राणसिंह वगैरा जाति राजपुत निवासी जसनाथपुरी चौखला तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 108 / 19

आदेश

मौजा जसनाथपुरी पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 271 रकबा 46.12 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ किसी भी भू. अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा / बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

08.4.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 68–72

दिनांकः– 08 / 04 / 2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लच्छाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री सवाईसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

08.4.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner